

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में पंचायत समिति का कनिष्ठ तकनीकी सहायक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 30 मार्च बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज खींवसर नागौर में कार्यवाही करते हुये पूनमचन्द सुथार कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा सरकारी विधालयों में करवाये गये निर्माण कार्यों की एमबी भरने तथा भुगतान जल्दी करवाने की एवज में पंचायत समिति खींवसर के कनिष्ठ तकनीकी सहायक पूनमचन्द सुथार द्वारा 5 प्रतिशत के हिसाब 48 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी नागौर के पुलिस निरीक्षक श्री मोहन सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के पंचायत समिति कार्यालय खींवसर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये पूनमचन्द सुथार पुत्र प्रभुराम सुथार निवासी ग्राम हद्दा तहसील/जिला बीकानेर, हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।